रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2011/श्रावण 7, 1933
No. 429] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2011/SRAVANA 7, 1933

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 588(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 22 के साथ पठनीय धारा 51 की उप-धारा (2) के उपबंध (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्तों तथा इनकी सेवा से संबंधित अन्य नियमों और शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों को विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील न्यायाधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा संबंधी अन्य नियम व शर्तें) नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं** — (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) 'अपीलीय न्यायाधिकरण' से अधिनियम की धारा 17 के तहत स्थापित विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) 'प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत बनाई गई विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) 'अध्यक्ष' से अधिनियम की धारा 20 के उपबंध (क) के तहत नियुक्त अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) 'सदस्य' से अधिनियम की धारा 20 के उपबंध 'ख' के तहत नियुक्त अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है।

(2) **ऐसे शब्दों और वाक्यों का,** जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं तथा परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम के अधीन है।

3 **अध्यक्ष का वेतन, भत्ते आदि** - (क) जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवारत अथवा सेवानिवृत न्यायाधीश की बतौर अध्यक्ष नियुक्ति की जाती है, तो वह उसी मासिक वेतन और उन्ही भत्तों तथा अन्य लाभों का हकदार होगा जोकि सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के लिए अनुज्ञेय है।

(ख) जब किसी उच्च न्यायालय के किसी सेवारत या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश की बतौर अध्यक्ष नियुक्ति की जाती है, तो वह उसी मासिक वेतन और उन्हीं भत्तों और अन्य लाभों का हकदार होगा जो अपीलीय न्यायाधिकरण के मुख्यालय वाले उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश के लिए अनुज्ञेय हैं।

बशर्ते यदि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश को पेंशन, ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान अथवा अन्य प्रकार के सेवानिवृति लाभ प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त हो चुके हैं या वह इनकी प्राप्ति का पात्र हो चुका है तो ऐसे अध्यक्ष के वेतन में से उसके द्वारा आहरित किए गए या किए जाने वाले भविष्य निधि में, कर्मचारी अंशदान या पेंशन की सकल धनराशि अथवा अन्य किसी प्रकार के सेवानिवृति लाभ, यदि कोई हैं (ग्रेच्युटी के समतुल्य पेंशन को छोड़कर), घटा दिए जाएंगे।

4. **अध्यक्ष की अन्य सेवा शर्तें** - अपीलीय न्यायाधिकरण में नियुक्त किए गए सेवारत न्यायाधीश के मामले में, ऐसे अध्यक्ष की सेवा शर्तें - जिसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41), सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 तथा उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी अन्य नियम, अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम 1954 (1954 का 28), उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम 1956 तथा उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए किसी अन्य नियम, जैसा भी मामला हो, द्वारा शासित की जाएगी।

5. **सदस्य का वेतन** - प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह अस्सी हजार रूपए (नियत) का भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते यदि किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति बतौर सदस्य की जाती है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या इनके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकरण के तहत रोवा से सेवानिवृत

हो चुका हो, जो पेंशन, ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान अथवा अन्य प्रकार के सेवानिवृति लाभ प्राप्त कर रहा हो, प्राप्त कर चुका हो या प्राप्त करने का पात्र बन चुका हो, तो ऐसे सदस्य के वेतन में से उसके द्वारा आहरित किए गए या किए जाने वाले भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान या पेंशन की सकल धनराशि अथवा अन्य किसी प्रकार के सेवानिवृति लाभ, यदि कोई हैं (ग्रेच्युटी के समतुल्य पेंशन को छोड़कर), घटा दिए जाएंगे।

6. **मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते** - (1) जो अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, उसे, समय-समय पर संबंधित न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देय दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।

(2) सदस्य को केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे समूह 'क' अधिकारी को देय दरों पर मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।

7. <u>अवकाश</u> - (1) अपीलीय अभिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को निम्नानुसार छुट्टी की स्वीकृति दी जाएगी-

(i) यदि सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बतौर अध्यक्ष की जाती है, तो ऐसी स्थिति में अवकाश के संबंध में उसके अधिकारों से संबंधित मामलों में उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41), अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 (1954 का 28) के प्रावधानों और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रशासित किया जाता रहेगा :

बशर्ते जहां -

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय का सेवारत मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा से अपनी सेवानिवृति के पश्चात् भी अध्यक्ष बना रहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, के रूप में अपनी सेवानिवृति की तिथि से अध्यक्ष पद पर अपने कार्यालय की शेष अवधि के लिए, अवकाश के संबंध में उसके अधिकारों से संबंधित मामले में उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

(ख) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को बतौर अध्यक्ष नियुक्त किया जाता हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय का सेवारत मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो अवकाश, के संबंध में उसके अधिकारों से संबंधित मामले में उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 द्वारा प्रशासित किया जाएगा;

(ii) सदस्य के मामले में अवकाश के संबंध में उसके अधिकारो से संबंधित मामले में उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 द्वारा प्रशासित किया जाएगा;

(2) सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से सेवानिवृति के बाद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति के अवकाश वेतन के भुगतान तथा अवकाश के दौरान सदस्य से संबंधित मामलों को केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 के नियम 40 द्वारा शासित किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष और सदस्य अपने खाते में शेष अर्जित अवकाश के बाबत अवकाश के नकदीकरण के हकदार होंगे, बशर्ते पिछली सेवा से सेवानिवृति के समय प्राप्त अवकाश नकदीकरण को मिलाकर अधिकतम अवकाश नकदीकरण तीन सौ दिनों से अधिक नहीं होगा।

8. **अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी** - अध्यक्ष के मामले में नागर विमानन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, और सदस्य के मामले में अध्यक्ष, अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी होगा।

9. **पेंशन** - अध्यक्ष और सदस्य के पास यह विकल्प होगा कि वे नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे अथवा वार्षिकीकरण से अथवा काम जमा अनुवृद्धि योजना द्वारा।

10. **यात्रा भत्ता** - (क) जब किसी सेवारत न्यायाधीश को अपीलीय न्यायाधिकरण में बतौर अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो दौरे अथवा स्थानान्तरण के समय (जिसमें अपीलीय अभिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई या अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद अपने गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा शामिल हैं) उसी स्तर और उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्तों, व्यक्तिगत सामान तथा एसीटी सामग्री के पारवहन का पात्र होगा जो समय समय पर संबंधित न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए लागू हैं।

(ख) अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, दौरे अथवा स्थानान्तरण के समय (जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई या अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद अपने गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा शामिल हैं) उसी स्तर और उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्तों, व्यक्तिगत सामान तथा एसीटी सामग्री के पारवहन के पात्र होगें जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के समान वेतन पा रहे समूह 'क' अधिकारियों के लिए लागू हैं।

11 **अवकाश यात्रा छूट** - अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य स्वयं तथा परिवार के लिए अवकाश यात्रा छूट के लिए पात्र होंगे जैसे केन्द्र सरकार में उच्चतम ग्रेड के पुनः नियुक्त पेंशन धारकों के लिए लागू हैं।

12. **चिकित्सकीय उपचार सुविधाएं** - अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, सेवा में रहते उन्हीं चिकित्सकीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं के पात्र होंगे जो अशंदायी स्वास्थ्य सेवा नियम 1954 में प्रावधान किया गया है और जिन स्थानों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना प्रचालन में नहीं है, वहां अध्यक्ष और सदस्य उन्हीं सुविधाओं के पात्र होंगे जैसा कि केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा सहायता) नियम 1944 में प्रावधान किया गया है।

13. **परिवहन** - (क) अध्यक्ष उन आवागमन सुविधाओं का पात्र होगा जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, को देय हैं।

(ख) सदस्य अपने आवास और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए अपने व्यक्तिगत गाड़ी के इस्तेमाल और अनुरक्षण के लिए एक नियत प्रतिपूर्ति का पात्र होगा जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

14. **आवास** - (क) अपीलीय अभिकरण के अध्यक्ष और सदस्य यदि दिल्ली में रहते हैं तो वे मूल वेतन के तीस प्रतिशत की दर पर गृह किराया भत्ता पाने के पात्र होंगे।

(ख) दिल्ली के बाहर अध्यक्ष और सदस्य किराए पर लिए गए असुसज्जित/सामग्री रहित (फर्नीचर रहित) आवास के पात्र होंगे जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

15. **विदेश दौरे (अधिकारियों के)** - (1) अध्यक्ष नागर विमानन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के पूर्वानुमोदन से और सदस्य अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, राजनीतिक दृष्टिकोण से विदेश मंत्रालय की क्लियरैंस के बाद और विदेशी आतिथ्य, यदि कोई हो, की स्वीकृति के लिए गृह मंत्रालय की ओर से क्लियरैंस प्राप्त होने के बाद विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के प्रावधानों के तहत विदेशी दौरे कर सकते हैं।

(2) विदेशी दौरो के दौरान दैनिक भत्तों और होटल में आवास के प्रावधान का विनियमन, अध्यक्ष के मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने से पहले की उसकी पात्रता के अनुसार, और सदस्य के मामले में समतुल्य वेतन पा रहे केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) विदेशों में भारतीय मिशन अध्यक्ष और सदस्य के लिए प्रबंधों का ध्यान रखेंगें और यथा अनुज्ञेय सुविधाएं प्रदान करेंगे।

(4) अध्यक्ष और सदस्य के विदेशी दौरे समय-समय पर यथा संशोधित विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होंगे।

16. **नियमों की प्रयोज्यता : जब सर्वोच्च** न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय का **मुख्य न्यायाधीश को बतौर** अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो उसके सेवा से संबंधित **नियम व शर्तें वही होंगी जैसी** कि अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके लिए लागू होते हैं :

बशर्ते अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अध्यक्ष की न्यायाधीश के रूप में अधिवार्षिता की स्थिति में, उसकी सेवा की नियम व शर्तें वैसी ही होगी जैसी कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, के संबंध में उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए इन नियमों के तहत अनुज्ञेय हैं।

17. **पद और गोपनीयता की शपथ** - (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले, इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र I और प्रपत्र II में क्रमशः पद और गोपनीयता की शपथ लेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले, इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र I और प्रपत्र II में क्रमशः पद और गोपनीयता की शपथ लेगा।

18. **वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा** - प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्ष अथवा सदस्य, जैसा भी मामला हो, के रूप में नियुक्ति होने पर प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की सन्तुष्टि के स्तर पर, इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र III में एक घोषणा करेगा, कि उसके कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिनसे अध्यक्ष या सदस्य, जैसा भी मामला हो के रूप में उनके कार्यों पर पक्षपातपूर्ण प्रभाव पड़े।

19. **अवशिष्ट प्रावधान** - ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, जिनके लिए इन नियमों में कोई सुस्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, के मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसे मामलों को केन्द्रीय सरकार के पास निर्णय के लिए प्रेषित करे।

20. **शिथिल करने की शक्ति** - केन्द्रीय सरकार के पास किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा. सं. ए 12023/001/2009-एडी (भाग-II)]

आलोक सिन्हा, संयुक्त सचिव

प्रपत्र I

(नियम 17 देखें)

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्रपत्र।

"मैं_____विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाने पर

एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से

ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ

कि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता, ज्ञान और निर्णय से, बिना किसी भय या पक्षपात, मोह या दुश्चिछा के, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निष्ठतापूर्वक और अंत:चेतना से निर्वाह करूंगा।"

(हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

दिनांक _____

प्रपत्र II

(नियम 17 देखें)

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रपत्र।

"मैं_____विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाने पर

एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से

ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ

कि मैं प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष, उन मामलों को छोड़कर जिनमें ऐसा किया जाना अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप मेरे कर्तव्यों के विधिवत् निर्वाह के लिए मुझसे अपेक्षित हो सकता है, ऐसे किसी भी मामले का सम्प्रेषण या खुलासा नहीं करूंगा जिसमें उक्त न्यायाधिकरण अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में मेरे विचारार्थ लाया जाएगा अथवा इस रूप में मुझे उसकी जानकारी होगी।"

(हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

दिनांक _____

प्रपत्र III

(नियम 18 देखें)

किसी विपरीत वित्तीय अथवा अन्य हित के अर्जन के विरूद्ध घोषणा।

मैं,_____विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य (जो लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्ति होने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मेरे ऐसे कोई वित्तीय अथवा अन्य हित नहीं हैं और न भविष्य में होंगे जिनसे विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्य (जो लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे कार्य पर कोई पक्षपातपूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

(हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

दिनांक _____

2855 GI/11-2

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2011

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub section (2) of section 51, read with section 22 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules regulating the salary and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, Chairperson and Members of the Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and Other Terms and Conditions of Service of the Chairperson and Other Members) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008);

(b) "Appellate Tribunal" means the Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal established under section 17 of the Act;

(c) "Authority" means the Airports Economic Regulatory Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Appellate Tribunal appointed under clause (a) of section 20 of the Act;

(e) "Member" means a Member of the Appellate Tribunal appointed under clause (b) of section 20 of the Act and includes the Chairperson.

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Salary, allowances, etc., of the Chairperson.** - (a) When a serving or a retired Judge of the Supreme Court, is appointed as Chairperson, he shall be entitled to a monthly salary, and such allowances and other benefits, as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court.

(b) When a serving or a retired Chief Justice of a High Court, is appointed as Chairperson, he shall be entitled to a monthly salary and to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Chief Justice of the High Court of the Headquarter station of the Appellate Tribunal:

Provided that in case the retired Judge of the Supreme Court or the retired Chief Justice of a High Court, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him.

4. **Other conditions of services of Chairperson.** - In case of serving Judge appointed to the Appellate Tribunal, the conditions of service of Chairperson for which no provision is made in these rules shall be governed by the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959 and any other rules

made under the Act, or the High Court Judges Act, 1954 (28 of 1954), High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956 and any other rule made under the Act, as the case may be.

5. **Salary of Member.** - Every Member shall be paid a salary of eighty thousand rupees (fixed) per mensem:

Provided that in case of appointment of a person as a Member who has been retired from the service under the Central Government or a State Government or any local body or authority owned or controlled by the Central Government or State Government or the Supreme Court or a High Court, as the case may be, who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Member shall be reduced by the gross amount of pension or employers contributions to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent to gratuity), drawn or to be drawn by him.

6. **Dearness Allowance and other Allowances.** - (1) The Chairperson who is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court shall receive dearness allowance at the rate admissible to a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court, as the case may be, as per orders issued by the concerned Courts from time to time.

(2) The Member shall receive dearness allowance and other allowances at the rates admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

7. **Leave.** - (1) The grant of leave to Chairperson and Members of the Appellate Tribunal shall be -

(i) in case a serving Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court is appointed as Chairperson he shall continue to be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the provisions of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or, as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and the rules made thereunder:

Provided that where –

(a) serving Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court appointed as Chairperson continues to be Chairperson after his retirement from service as a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court, he shall be governed in matter relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, from the date of his retirement as a Judge of the Supreme Court, as the case may be, of the Chief Justice of a High Court, for the remaining period of his term of office.

(b) a person, not being a serving Judge of the Supreme Court or serving Chief Justice of a High Court, appointed as Chairperson shall be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972;

(ii) in case of a Member he shall be governed in the matters relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972;

(2) The payment of leave salary to the person appointed as Chairperson after his retirement from the Supreme Court or the High Court and Members during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972;

(3) The Chairperson and Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the Earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed three hundred days.

8. Leave sanctioning authority. - In the case of the Chairperson, the Minister in charge of Ministry of Civil Aviation, and in the case of a Member, the Chairperson, shall be the leave sanctioning authority.

9. Pension. - The Chairperson and a Member shall have the option either to be governed by New Pension Scheme or annuitization or complete withdrawal of the corpus plus accretion.

10. Travelling Allowance. - (a) When a serving Judge is appointed to the Appellate Tribunal as Chairperson he while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Appellate Tribunal or on the expiry of his term with the Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are applicable to Supreme Court Judge or Chief Justice of High Courts as per orders issued by the concerned Courts from time to time.

(b) The retired Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of High Courts appointed as the Chairperson and Members of Appellate Tribunal, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join Appellate Tribunal or on the expiry of his term with the Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to traveling allowance, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are applicable to Group 'A' Officers of the Central Government or State Government drawing an equivalent pay.

11. Leave Travel Concession. - The Chairperson and Members of Appellate Tribunal shall be entitled to Leave Travel Concession for self and family as admissible to re-employed pensioners of the highest grade in the Central Government.

12. Facilities of Medical Treatment. - The Chairperson and Members of the Appellate Tribunal shall, while in service be entitled to medical treatment and

hospital facilities as provided in the Contributory Health Services Rules, 1954 and in places where Central Health Services Scheme is not in operation, the Chairperson and Member shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

13. Transport. - (a) The Chairperson shall be entitled for conveyance facilities as admissible to a serving Judge of a Supreme Court or Chief Justice of a High Court as the case may be.

(b) A Member shall be eligible for a fixed reimbursement for the use and maintenance of his personal car for transportation between residence and office as laid down by the Department of Personnel and Training from time to time.

14. Accommodation. - (a) The Chairperson and Members of the Appellate Tribunal shall be entitled for a House Rent Allowance at the rate of thirty percent of the basic pay, if they stay in Delhi.

(b) Outside Delhi, the Chairperson and the members shall be entitled to rented unfurnished accommodation as laid down by the Department of Personnel and Training from time to time.

15. Official visits abroad. - (1) The Chairperson may undertake official visits abroad with the prior approval of the Minister-in-charge of the Ministry of Civil Aviation and the members with the prior approval of the Chairperson, after clearance from the Ministry of External Affairs from political angle and from the Ministry of Home Affairs for acceptance of foreign hospitality, if any, under the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976).

(2) The daily allowance and provision of hotel accommodation during the period of tour abroad in case of Chairperson shall be regulated in accordance with his entitlement before joining the Appellate Tribunal and in case of Members shall be regulated in accordance with the instructions of the Central Government as applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

(3) The Indian missions abroad shall take care of arrangements and extend facilities as admissible to the Chairperson and the Member.

(4) The visits abroad of the chairperson and the Member shall be in accordance with the instructions issued by Ministry of External Affairs and Ministry of Finance as amended from time to time.

16. Applicability of rules. - When a serving Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court is appointed as the Chairperson, his terms and conditions of service shall be the same as were applicable to him prior to his appointment as the Chairperson:

Provided that in case of superannuation of Chairperson as Judge before the expiry of his term as Chairperson, his terms and conditions of service shall be the same as are applicable to a retired Judge of the Supreme Court or a retired Chief Justice of a High Court as the case may be, under these rules, for remainder period of his term.

17. Oath of office and secrecy. - (1) Every person appointed as the Chairperson shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form I and Form II respectively, annexed to these rules.

(2) Every person appointed as a member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Form I and Form II respectively, annexed to these rules.

18. Declaration of financial or other interest. - Every person, on his appointment as the Chairperson or Member, as the case may be, shall give a declaration in Form III annexed to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairperson or Member, as the case may be.

19. Residuary provisions. - Where the conditions of service of the Chairperson or Member, for which no express provision has been made in these rules, the Appellate Tribunal may refer such matters to the Central Government for its decision.

20. Powers to relax. - The Central Government shall have the power to relax any provision of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. A. 12023/001/2009-AD (Vol.-II)]

ALOK SINHA, Jt. Secy.

Form I

(See rule 17)

FORM OF OATH OF OFFICE FOR CHAIRPERSON OR MEMBERS OF THE AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY APPELLATE TRIBUNAL

"I, ..., having been appointed as Chairperson or Member of the Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal

"

do solemnly affirm

swear in the name of God

that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairperson or Member to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will."

(Signature)

Name.....

Designation.....

Place.....

Date.....

Form II

(See rule 17)

FORM OF OATH OF SECRECY FOR CHAIRPERSON OR MEMBERS OF THE AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY APPELLATE TRIBUNAL

"I, ..., having been appointed as Chairperson or Member of the Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal

do solemnly affirm

swear in the name of God

that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson or Member of the said Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as Chairperson or Member."

(Signature)

Name.....

Designation.....

Place.....

Date.....

Form III
(See rule 18)

DECLARATION AGAINST ACQUISITION OF ANY ADVERSE FINANCIAL OR OTHER INTEREST

I, ..., having been appointed as the Chairperson or Member (cross out portion not applicable) of the Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal, do solemnly affirm and declare that I do not have nor shall have in future any financial or other interests which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson or Member (cross out protion not applicable), of the Airports Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal.

(Signature)

Name....................................

Designation...........................

Place..

Date..

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.